**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1217**
**दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत इलाज**

**1217. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कई विदेशी नागरिकों की देश में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत इलाज की इच्छा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने ऐसे विदेशी नागरिकों पर नज़र रखी है जो देश में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत इलाज कराना चाहते हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)**

(क) से (घ): भारत सरकार ने दिनांक 27 जुलाई, 2023 को, आयुष प्रणाली/भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत उपचार हेतु भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए एक अलग श्रेणी के आयुष वीजा को लागू किया है। आयुष वीजा चार उपश्रेणियों है जैसे- (i) आयुष वीजा (एवाई-1), (ii) आयुष परिचारक वीजा (एवाई) (iii) ई-आयुष वीजा और (2) ई-आयुष परिचारक वीजा में उपलब्ध हैं।

आयुष वीजा ऐसे विदेशी नागरिक को प्रदान किया जाता है जिसका प्रयोजन आयुष प्रणाली/भारतीय चिकित्सा प्रणाली जैसे किसी संबंधित सरकारी प्राधिकरण (प्राधिकरणों) या अस्पतालों और स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) /राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच)/ आयुष सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली आयोग द्वारा प्रत्यासित अस्पतालों द्वारा इलाज कराना है।

गृह मंत्रालय के अधीन अप्रवासन ब्यूरो, चिकित्सा उद्देश्य के आधार पर भारत आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों संबंधी वार्षिक आंकड़े (एफटीए) प्रकाशित करता है। वर्ष 2018 से 2021 के बीच चिकित्सा उद्देश्य के बीच लिए कुल एफटीए के आंकड़े नीचे दिए गये हैं।

| वर्ष | चिकित्सा उद्देश्य पर एफटीए |
|---|---|
| 2018 | 640798 |
| 2019 | 697453 |
| 2020 | 182945 |
| 2021 | 303526 |

****